

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005
के अंतर्गत

सूचना पुस्तिका

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सूचना पुस्तिका

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) के अंतर्गत)

विषय सूची

अध्याय	नियम पुस्तिका सं०	संरचना	पृष्ठ सं०
1		पुस्तिका परिचय	
2	1	संगठन, कृत्य और कर्तव्यों का विवरण	
3	2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
4	3	कृत्य निर्वहन के नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल तथा अभिलेख	
5	4	नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-साधारण के साथ परामर्श करने या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था का विवरण	
6	5	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियां का विवरण	
7	6	इसके भाग के रूप में गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण	
8	7	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	
9	8	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि	
10	9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका	
11	10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	
12	11	प्रत्येक एजेंसी के लिए आबंटित बजट	
13	12	सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका	
14	13	इसके द्वारा स्वीकृत रियायतों, परमिटों या प्राधिकार की प्रतियों का ब्यौरा	
15	14	कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित मानदंड	
16	15	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना	
17	16	सूचना प्राप्ति हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
18	17	अन्य उपयोगी सूचनाएं	

प्रत्याख्यान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए सत्रह नियम पुस्तिकाओं में समाविष्ट इस सूचना पुस्तिका को प्रामाणिक बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई किसी सूचना में कमियों, त्रुटियों अथवा अशुद्धियों से किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विसंगति को सुधारने अथवा संशोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सूचना में लाया जाना चाहिए।